न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 331/2016

मंदिर श्री चतुर्भुज ग्राम गोनेर (बडा बास गोनेर) तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर, जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड

1. रामावतार शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–गोनेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. जगदीश शर्मा पुत्र मौहनलाल, जाति–ब्राम्हण, निवासी–गोनेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, (भू–अभिलेख) सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला– जयपुर।
2. मु0 रामप्यारी पत्नी श्री लादू, जाति–ब्राम्हण, निवासी–गोनेर, तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर। (मृतक)

   2/1 रामबाबू पुत्र रामेश्वर, जाति–ब्राम्हण, निवासी–गोनेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हेमन्त सौगाणी, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्य 2/1 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार ।

निर्णय **दिनांक : 30.07.2019**

मंदिर श्री चतुर्भुज ग्राम गोनेर (बडा बास गोनेर) तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर, जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड रामावतार शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–गोनेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर एवं जगदीश शर्मा पुत्र मौहनलाल, जाति–ब्राम्हण, निवासी–गोनेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–गोनेर की साबिका आराजी खसरा नं0 1779 रकबा 16 बिस्वा, ख0 नं0 1780 रकबा 10 बिस्वा, ख0 नं0 1781 रकबा [illegible] बिस्वा, ख0 नं0 1782 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0 नं0 1784 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि मुताबिक मिसल

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

Scanned by CamScanner

हकीयत बन्दोबस्ती मौजा गोनेर सम्वत् 1987 के कॉलम 3 नाम खातेदार मय वल्दीयत व कौमियत व साकूनत माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह बहतमाम नानया वल्द मांगया, कौम–ब्राह्मण गोर साकिन देह पुजारी कॉलम संख्या 4 शिकमी काश्तकार मय वल्दियत व कौमियत व साकूनत गोपाल वल्द जेतू, कौम–ब्राह्मण, भूरा वल्द छोटू, कौम–ब्राह्मण साकिन देह भोरिया वल्द रामजीवन, कौम– ब्राह्मण साकिन देह दर्ज थी और इसी में नोट अंकित है कि लाभूराम पिसर श्री नारायन अपने बाप की तरफ से सेवा पूजा करेगा। लिहाजा आराजी खाता हाजा तादादी चार बीघा उन्नीस बिस्वा पुख्ता बरीगे माफी बनाम श्री नारायन बहाल रहे। वरक्त सेटलमेट खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2015–2034 के कालम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में खालसा व कालम संख्या 5 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में लादू पुत्र श्री नारायण जाति ब्राम्हण सा. देह नं.ख. कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा दर्ज किये जाने के फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 में नये खसरा नम्बर मु. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री लादू कौम ब्राम्हण सा. देह के नाम दर्ज है, वादग्रस्त आराजी बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह बहतमाम नानया वल्द मांगया, कौम–ब्राह्मण गोर साकिन देह बजाय मु. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री लादू कौम ब्राम्हण सा. देह के नाम दर्ज की गई है, मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और मूर्ति की आराजी को निजि खातेदारी में नियमों के विपरीत दर्ज की गई है जो पुनः माफी मन्दिर श्री माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक हाजिर आये ।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम–गोनेर की साबिका आराजी खसरा नं0 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि मुताबिक मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा गोनेर सम्वत् 1987 के कॉलम 3 नाम खातेदार मय वल्दीयत व कौमियत व साकूनत माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह बहतमाम नानया वल्द

Scanned by CamScanner

मांगया, कौम–ब्राह्मण गोर साकिन देह पुजारी कॉलम संख्या 4 शिकमी काश्तकार मय वल्दियत व कौमियत व साकूनत गोपाल वल्द वेदू, कौम–ब्राह्मण, भूरा वल्द छोटू, कौम–ब्राह्मण साकिन देह भोरिया वल्द रामजीवन, कौम–ब्राह्मण साकिन देह दर्ज थी और इसी में नोट अंकित है कि लाधूराम पियार श्री नारायन अपने बाप की तरफ से सेवा पूजा करेगा। लिहाजा आराजी खाता हाजा तादादी चार बीघा उन्नीस बिस्वा पुखता बसीगे माफी बनाम श्री नारायन बहाल रहे। यह नोट 03.01.1940 को दर्ज किया गया है जिससे साफ जाहिर है कि मन्दिर की सेवा पूजा करने हेतु लाधूराम को अधिकृत किया गया है न कि वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार हेतु। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कालम संख्या 5 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषिकाल में लादू पुत्र श्री नारायण जाति ब्राम्हण सा. देह नंबर.ख. कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा जो दर्ज है वह केवल कृषि के करने वाले का नाम ही इंगित करती है न कि उसे खातेदारी अधिकार दिये जाने का अधिकार। मिसल हकीयत पर दर्ज नोट दिनांक 03.01.1940 से सुस्पष्ट है कि लादूराम को मात्र मंदिर की सेवा पूजा हेतु अधिकृत किया गया है। पुजारी को किसी भी रूप में नियमों के किन्ही भी प्रावधानों में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है। लाधूराम के पश्चात उसके वारिसान के नाम जो वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज की गई है वह अवैद्य है। मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और मूर्ति की आराजी को निजि खातेदारी में नियमों के विपरीत दर्ज की गई है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया इन्द्राज/हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह के नाम दर्ज की जावे।

अप्रार्थी संख्या 2/1 के विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त सौगानी का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तथ्यों के परे व अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थी का यह कथन सर्वथा तथ्यों के परे है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री चतुरभुज जी की माफी की भूमि है। खतौनी बन्दोबस्त में भूमि अधिकारी का नाम खालसा दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में मंदिर श्री चतुरभुज जी को जागीर/माफी के कोई अधिकार

Scanned by CamScanner

प्राप्त नहीं थे बल्कि वादग्रस्त भूमि खालसा हो चुकी थी ऐसी स्थिति में माफी मंदिर श्री चतुरभुज जी की बताया जाना पूर्णतः गलत व आधार हीन है। जागीर के पुनर्ग्रहण के समय तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त भूमि का कृषक लाधू पुत्र नारायण ब्राह्मण ही था और उसी का नाम कृषक के रूप में राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज था। लादू के स्वर्गवास के पश्चात उसकी धर्मपत्नी रामप्यारी को तथा रामप्यारी द्वारा वसीयतनामा अप्रार्थी रामबाबू के हक में किये जाने से वादग्रस्त आराजी का कृषक अप्रार्थी संख्या 2/1 रामबाबू हुआ। वादग्रस्त आराजी न तो कभी मंदिर श्री चतुरभुज जी की जागीर/माफी में रही और न ही कभी खुदकाश्त के रूप में रही है। ऐसी स्थिति में जागीर का पुनर्ग्रहण हो जाने पर भी ठाकुर जी श्री चतुरभुज जी को भूमि विवादग्रस्त में कभी कृषक के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुऐ और लादू पुत्र नारायण ही वादग्रस्त आराजी का कृषक था जिससे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये इसके बावजूद भी गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि जागीरदारी/माफीदारी की भूमि तथा कथित मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं हो तो उसमें जागीरदार/माफीदार के अधिकार पूर्णतः समाप्त होकर भूमिधारी अधिकार राज्य सरकार में हो जाते हैं और कृषक होने के नाते लादू पुत्र नारायण को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय लादया पुत्र नारायण माली भूमि का कृषक था और इसलिये लादया पुत्र डूंगा माली को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही खतौनी बंदोबस्त में राजस्थान राज्य सरकार का नाम भूमि अधिकारी के रूप में राजस्थान राज्य सरकार का नाम विधि के स्पष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है जिसे चुनौती दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा (ग्राम) गोनेर सम्वत 1987 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी

Scanned by CamScanner

मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह बहतमाम नानया वल्द मांगया कौम–ब्राह्मण गोर साकिन देह पुजारी के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार मंदिर श्री चतुरभुज जी की सेवा पूजा के सम्बन्ध में उत्पन्न हुये विवाद को जरिये मिसल नं0 414 दिनांक 30.01.1930 निर्णित किये जाने का नोट दिनांक 03.01.1940 इस मिसल हकीयत पर अंकित है जिसमें दर्ज किया गया है कि लादूराम पुत्र श्री नारायण अपने बाप की तरफ से सेवा पूजा करेगा। इस नोट से यह जाहिर होता है कि सक्षम अधिकारी के द्वारा मंदिर की सेवा पूजा के लिए उत्पन्न हुई परिस्थिति के लिये लादूराम पुत्र श्री नारायण को मंदिर की सेवा पूजा करने के लिऐ अधिकृत किया गया है अर्थात मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया है। मंदिर की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा। इस प्रकार पुजारी को खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते हैं। काश्तकारी भूमि की खातेदारी तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। लादूराम पुत्र श्री नारायण की हैसियत वादग्रस्त प्रकरण में पुजारी की रही है। नकल खसरा परिवर्तन सम्वत् 2004 में काश्तकार के कॉलम संख्या 7 में माफी देन जमीदान मंदिर श्री चतुरभुज जी वाके देह पुजारी नेनु वल्द मांगीलाल कौम–ब्राह्मण साकिन देह दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में कृषक के कॉलम में लादू पुत्र श्री नारायण जाति–ब्राह्मण जो कि मंदिर का पुजारी रहा है का नाम दर्ज किये जाने से लादू के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो नियमों के विरूद्ध है। जब सम्वत् 2004 में काश्तकार के कॉलम में मंदिर श्री चतुरभुज जी का नाम दर्ज है तो कोविज काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही

Scanned by CamScanner

उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह बहतमाम नानया वल्द मांगया, कौम–ब्राह्मण गोर साकिन देह पुजारी की भूमि का इन्द्राज पुजारी लादू पुत्र श्री नारायण के नाम तत्पश्चात रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री लादू के नाम के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2055 में निजी खातेदारी रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री लादू अप्रार्थी के नाम दर्ज है जो न्यायसंगत नहीं है। बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये लादू पुत्र श्री नारायण के हक में किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का तथा इसके पश्चातवर्ती के इन्द्राजों को राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री चतुरभुज जी वाके देह के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकारान को दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पावन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner